(अति महत्वपूर्ण)

समाहरणालय, बेगूसराय

(जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग)

पत्रांक 236 दिनांक 14.06.2019

प्रेषक,

सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
बेगूसराय।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
बेगूसराय जिला।

विषय-प्रखंडस्तरीय दिव्यांगजन समूह हेतु आयोजित बैठक में राज्य आयुक्त,निःशक्तता के शामिल होने के संबंध में।

प्रसंग-न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), बिहार का पत्रांक-676/आ.नि.को./दिनांक-13.6.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्रखंड क्षेत्रान्तर्गत सभी पंचायतों में दिव्यांगजन समूह का गठन किया जाना है। समूह में 18-40 आयु वर्ग के कम से कम पांच सदस्य होने चाहिए। उक्त समूह में दिव्यांगता के 21 प्रकार (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता) में से कम से कम पांच अलग-अलग प्रकार के दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व होना है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि प्रखंड क्षेत्रान्तर्गत सभी पंचायतों में उक्त समूह का गठन कर दिनांक-19.06.2019 से 22.06.2017 तक प्रखंड स्तर पर समूह के सदस्यों की एक बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे तथा बैठक से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र (प्रपत्र-I) में सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बेगूसराय के ई-मेल आईडी adss.beg@gmail.com पर भी प्रेषित करेंगे, **साथ ही यह भी सूचित करना है कि प्रखंड स्तरीय आयोजित होने वाले दिव्यांगजन समूह की बैठक में राज्य आयुक्त, निःशक्तता स्वयं भी उपस्थित रहेंगे।**

राज्य आयुक्त, निःशक्तता के निदेशानुसार सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित प्रखंडों में निम्न समय सारणी के अनुसार बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक	प्रखंड का नाम	बैठक का समय
19.6.2019 (बुधवार)	बछवाड़ा	7.00 A.M.
	मंसूरचक	8.00 A.M.
	भगवानपुर	9.00 A.M.
	वीरपुर	10.00 A.M.
	बेगूसराय सदर	11.00 A.M
	मटिहानी	12.00 P.M.

	बरौनी	01.00 P.M.
	तेघड़ा	02.00 P.M.
20.6.2019 (गुरूवार)	साहेबपुर कमाल	7.00 P.M.
	बलिया	8.00 A.M.
	डंडारी	9.00 A.M.
	नावकोठी	10.00 A.M.
21.6.2019 (शुक्रवार)	चेरियाबरियारपुर	6.00 A.M.
	खोदावनपुर	7.00 A.M.
	छौड़ाही	8.00 A.M.
	गढ़पुरा	9.00 A.M.
	बखरी	10.00 A.M
22.6.2019 (शनिवार)	शाम्हो	6.00 A.M.

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
बेगूसराय।

ज्ञापांक 236 दिनांक 14.6.2019

प्रतिलिपि - सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
बेगूसराय।